



2026:AHC:22033

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19452 वर्ष 2025

ज्योति प्रकाश

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: अनीश चौधरी, ओम प्रकाश शुक्ला

: सी.एस.सी.

न्यायालय सं.-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश शुक्ला और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना।

2. इस न्यायालय ने 06.01.2026 को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया और उसके बाद मामले की सुनवाई आज के लिए निर्धारित की गई। विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद ने निर्देश उपलब्ध करा दिए हैं। उन्होंने बताया कि वे निर्देशों से भलीभांति परिचित हैं और ये निर्देश रिट याचिका के निष्तारण के लिए पर्याप्त हैं। वे कोई और शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं और याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। अतः पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय नवीन स्तर पर ही किया जा रहा है।

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 23.03.2015 को 4650/- रुपये प्रति माह के मासिक मानदेय/वेतन पर वार्डब्वाय के रूप में नियुक्त किया गया था, हालांकि, उसकी सेवाएं 27.11.2025 को बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा समाप्त कर दी गई।

4. इसी पर प्रश्न उठाते हुए याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

5. आदेश पारित होने के बाद, आज बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर से दिनांक 28.01.2026 को निर्देश अंग्रेषित किए गए हैं, जिसे अभिलेख में दर्ज कर परिशिष्ट ए के रूप में चिह्नित किया गया है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि दिनांक 27.11.2025 का आदेश अस्पष्ट और तर्कहीन है तथा याचिकाकर्ता को सूचित किए बिना पारित किया गया है। उनका निवेदन है कि उक्त आदेश कलंकित करने वाला है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है।

7. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को 14.10.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिस पर याचिकाकर्ता ने 28.10.2025 को अपना जवाब दिया, हालांकि, आदेश 27.11.2025 को पारित किया गया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि समिति द्वारा एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था जिसके द्वारा बर्खास्तगी आदेश को स्वीकृति दी गई थी।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त तथ्य का खंडन किया है क्योंकि उनके अनुसार, आदेश से यह पता नहीं चलता कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है।

10. स्पष्ट तौर पर, 14.10.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिस पर रिट याचिकाकर्ता ने 28.10.2025 को जवाब देने का दावा किया था, हालांकि, विचाराधीन आदेश 27.11.2025 को पारित किया गया था, रिट याचिकाकर्ता किसी भी नोटिस के जारी होने पर विवाद करता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



11. चाहे जो भी हो, चुनौती दिए गए आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था या नहीं और क्या विधि के अनुसार कोई कार्रवाई की गई थी, इसलिए चुनौती दिए गए आदेश को मान्य नहीं ठहराया जा सकता।

12. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

(क) बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.11.2025 को पारित विवादित आदेश को अपास्त किया जाता है।

(ख) याचिकाकर्ता को नोटिस देने के बाद, मामले को विधि के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित करने के लिए वापस भेजा जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर ऐसा करना होगा।

(ग) आदेश को निरस्त करते हुए, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सेवा ग्रहण करने का आदेश नहीं किया है और उसे पारित किए जाने वाले नए आदेशों का पालन करना होगा।

13. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया है।

2 फरवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"